

कार्यालय राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति,  
तकनीकी शिक्षा भवन, राजकीय रामबन्ध खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर,  
झालाना जूंगरी, जयपुर-302004

क्रमांक टीई/एफसी/2020-21/3572

दिनांक 6-8-2020

समस्त निजी वर अनुदाभित तकनीकी शिक्षण संस्थान,  
राजस्थान।

विषय: वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 की शुल्क संरचना के सम्बन्ध में  
Accreditation से सम्बन्धित सूचना हेतु।

महोदय,

वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 की शुल्क संरचना के निर्धारण के सम्बन्ध में  
Accredited Institutions से निम्न सूचना/दस्तावेज वांछित है। अतः समस्त Accredited  
संस्थान निम्न सूचना मय दस्तावेज के 15 दिवस में राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति के कार्यालय  
में प्रस्तुत/प्रेषित करने का श्रम करें।

1. जो संस्थान NAAC (National Assessment and Accreditation Council) द्वारा  
Accredited है, वे निम्न सूचना/दस्तावेजात् प्रस्तुत करें :-

- उनके यहाँ वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में चल रहे Professional/  
Technical Courses के पूर्ण विवरण :
- उपरोक्त कोर्सेज चलाने के अधिकार पत्र की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि।
- Accreditation Certificate की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि।

2. जिन संस्थान के विभिन्न कोर्सेज NBA (National Board of Accreditation) द्वारा  
Accredited है, वे निम्न सूचना/दस्तावेजात् प्रस्तुत करें :-

- संस्थान वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में किस किस प्रोग्राम के कुल कितने व  
कौन कौन से कोर्सेज चलाने के लिए अधिकृत है। सम्बन्धित अधिकार पत्र की प्रमाणित  
फोटो प्रतिलिपि सहित सूचना प्रस्तुत करें।
- संस्थान द्वारा उपरोक्त वर्षों में कौन कौन से कोर्सेज चलाये जा रहे हैं। पूर्ण विवरण प्रस्तुत  
करें।
- NBA द्वारा जारी Accreditation Certificate की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

3. उक्त के सम्बन्ध में संस्थान किस-किस कोर्सेज के लिए कितनी Tuition Fees प्रस्तावित करते  
हैं, कोर्स-वार्डज प्रस्तुत करें।

भवदीया,

(शुक्ति शर्मा)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति



क्रमांक: टीई/एफसी/2020-21/

दिनांक: 06/8/2020

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को विदेशी देवालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा जोधपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली

(रवि भास्कर)

प्रभारी अधिकारी

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति